प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व 35,000/- रूपए अर्थदंड की सजा

दिनांकः 30.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 30.09.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर सश्रम आजीवन कारावास एवं 35,000/- रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना खैराबाद से सम्बन्धित मु0अ0सं0 63/13 धारा 302/201 भादवि व मु0अ0सं0 64/13 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम छोटक्के पुत्र विशुना निवासी ग्राम महेशपुर मजरा चिलवारा थाना खैराबाद जनपद सीतापुर में खैराबाद पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 30.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-08 सीतापुर द्वारा अभियुक्त छोटक्के उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भा.द.वि में सश्रम आजीवन कारावास एवं 25,000/- रूपए अर्थदण्ड, धारा 201 भा.द.वि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....